**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) से (ग) जी, हां । क्षेत्र के क्षेत्रीय विकास नक्शे में, फल एवम् सब्जियों की एक छोटी मार्किट तथा एक सामुदायिक केन्द्र जिसमें सिनेमा, खुदरा दुकानें, कार्यालय, विपणन तथा अन्य सामुदायिक सुविधायें जैसे डाक घर, कार्यालय, पुलिस चौकी, बैंक आदि की व्यवस्था हो, के लिये स्थल उद्दिष्ट किये गये हैं ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने फल एवम् सब्जी मार्किट तथा सामुदायिक केन्द्र के लिए एक परिपूर्ण परियोजना दिल्ली नगर कला आयोग को अनुमोदनार्थ भेजी थी । आयोग ने इच्छा व्यक्त की कि दिल्ली विकास प्राधिकरण फल एवं सब्जी की एक छोटी मार्किट तथा सामुदायिक केन्द्र के लिए अलग-अलग नक्शे प्रस्तुत करे । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने फल एवम् सब्जी की छोटी मार्किट की योजना का कार्य एक निजी परामर्श कम्पनी को दिया है तथा उसकी परियोजना रिपोर्ट की प्रतीक्षा है । सामुदायिक केन्द्र के लिए संशोधित योजना दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्वयं तैयार की जा रही है । दिल्ली नगर कला आयोग से अनुमोदन प्राप्त हो जाने की उपरान्त ही इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जायेगी ।

**डी.डी.ए. द्वारा संसद सदस्यों को फ्लैटों का आवंटन**

1941. **डा. गोविन्द दास रिछारिया** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान अपनी विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत कितने फ्लैटों का निर्माण किया गया और संसद सदस्यों को उनके निर्धारित कोटे के अनुसार कितने फ्लैट आवंटित किए गए और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये फ्लैट आवंटित किए गए हैं ;

(ख) संसद सदस्यों के कितने प्रार्थना पत्र प्राधिकरण के पास लम्बित हैं; और

(ग) उन पर प्राधिकरण द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अशोक विहार, शालीमार बाग, कालकाजी, दिलशाद गार्डन, सराय जूलियाना, शेख सराय में संसद् सदस्यों को सामान्य आवास योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग श्रेणी के 28 फ्लैट आवंटित कर दिए हैं । 30 फ्लैट स्वविवत्त पोषित योजना के अन्तर्गत आवंटित किए गए थे जिनमें से 5 आवेदकों ने पहले ही अपना विकल्प वापस ले लिया है।

(ख) सामान्य आवास योजना के अन्तर्गत संसद् सदस्यों के 14 आवेदन-पत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास अनिर्णीत पड़े हैं ।

(ग) जिन संसद् सदस्यों को फ्लैटों का नियतन किया गया है, उन्हें, जब फ्लैट का विशिष्ट पहचान नम्बर के लिए ड्रा निकाला जाएगा, फ्लैट दे दिए जायेंगे ।

**केन्द्रीय जल आयोग के पास लम्बित सिंचाई योजनाएं**

1942. **श्री रामचन्द्र विकल** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय जल आयोग के पास कुल कितनी बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई योजनाएं स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं;

(ख) कितनी योजनाओं की जांच कराई गई है और कितनी स्वीकृत की जा चुकी है और उन पर कितनी अनुमानित राशि खर्च होगी; और

(ग) इन स्वीकृत योजनाओं सहित कुल कितने हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो सकेगी ?

**जल संसाधन मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द)**: (क) 1 जनवरी, 1986 की स्थिति के अनुसार 141 वृहद तथा 107 मध्यम सिंचाई स्कीमें केन्द्रीय जल आयोग के विचाराधीन थीं, लघु सिंचाई स्कीमें राज्य सरकारों द्वारा स्वयं ही स्वीकृत की जाती हैं तथा केन्द्रीय जल आयोग को नहीं भेजी जाती ।

(ख) और (ग) छठी योजना के अंत तक विभिन्न योजनाओं में 246 वृहद तथा 1059 मध्यम सिंचाई स्कीमें आरम्भ की गई थीं । छठी योजना के अंत तक इन स्कीमों पर 15,041 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है तथा सातवीं योजना तक निर्माणाधीन स्कीमों की आगे लाई गई अनुमानित लागत 24,600 करोड़ रुपये है । विभिन्न योजनाओं के दौरान आरम्भ की गई वृहद मध्यम स्कीमों से करीब 20.8 मिलियन हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित हुई है तथा उनके पूरा हो जाने पर 15 मिलियन हैक्टेयर और सिंचाई क्षमता इसमें जुड़ जाएगी ।

**न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण जलपूर्ति के लिए धनराशि**

1943. **श्री रामचन्द्र विकल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय किए जाने की संभावना है ?

**कृषि मंत्री (श्री बूटा सिंह)**: उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1985-86 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा 377.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।

**Non-Regularisation of daily wages persons in the Directorate General Doordarshan**

1944. SHRI PRITHIBI MAJHI : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 606 given in the Rajya Sabha on the 28th February, 1986 and State:

(a) whether it is a fact that according to instructions issued by the Ministry of Personnel consequent to the Supreme Court Judgement delivered on the 17th January, 1986 in the context of a prayer made by some daily wage workers of CPWD no person can be appointed on daily wage/ad hoc basis for work of regular nature;

(b) if so, since when the 14 daily wage persons posted at the headquarters of the Directorate General, Doordarshan or in Doordarshan Kendra, Delhi are working on ad-hoc basis and whether the nature of work they are doing is of regular nature; and

(c) if so, what are the reasons for not complying with instructions of the Ministry of Personnel?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI V. N. GADGIL): (a) The instructions of Government that a person may not be engaged on daily wages to perform work of a regular nature or an ad hoc appointment may not be allowed to continue indefinitely have been in existence for quite some time now.

(b) There are at present only 13 such persons working on ad hoc basis at Peons at the headquartres of Directorate General Doordarshan. The dates since which they have been working in this capacity are indicated in the attached statement. (*See below*).

(c) It has not been possible to regularise the services of these 13 persons so far because of non-availability of suitable, clear and long-term vacancies. It may, however, be pointed out that they are being paid salary at the same rate which regularly appointed Peons are entitled to.

**Statment**

| Sl.No. | Name | Date of Appointment |
|---|---|---|
| 1 | Shri Harbir Singh | 24-2-83 |
| 2 | Shri Dilwar Singh | 18-2-84 |
| 3 | Shri Bansuya Prasad | 18-2-84 |
| 4 | Shri Prem Chand Dhyani | 18-2-84 |
| 5 | Shri Virendra Singh | 20-2-84 |
| 6 | Shri Vinod Kumar Matlotia | 27-4-84 |
| 7 | Shri Rajender Mandal | 27-4-84 |
| 8 | Shri Nanak Chand | 14-5-84 |
| 9 | Shri Ram Nath Soha | 12-4-85 |
| 10 | Shri D.P. Karan | 12-4-85 |
| 11 | Shri Vinod Kumar | 4-11-85 |
| 12 | Shri Manbir Singh | 4-11-85 |
| 13 | Shri Kuldip Kumar | 5-12-85 |